(15)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 174/2008 दायर दिनांकः 17.10.2008

उनवान

1– प्रभुलाल पि. धन्ना जाति मेघवाल नि. सनोरिया तहसील सुनेल

2– लालचन्द पि. धन्ना जाति मेघवाल नि. सनोरिया तहसील सुनेल

3– मुकेश पि. धन्ना जाति मेघवाल नि. सनोरिया तहसील सुनेल

4– दिलीप पि. धन्ना जाति मेघवाल नि. सनोरिया तहसील सुनेल

5– बद्री पि. धन्ना जाति मेघवाल नि. सनोरिया तहसील सुनेल

6– मोहनबाई बेवा पि. धन्ना जाति मेघवाल नि. सनोरिया तहसील सुनेल

–वादीगण

बनाम

1– रामलाल पि. शंकरलाल जाति मेघवाल नि. सनोरिया तहसील सुनेल

2– सीताराम पि. अमरी जाति मेघवाल नि. सनोरिया तहसील सुनेल

3– शांतिबाई पुत्री गीताबाई जाति मेघवाल नि. सनोरिया तहसील सुनेल

4– लीलाबाई पुत्री गीताबाई जाति मेघवाल नि. सनोरिया तहसील सुनेल

5– सुगनीबाई पुत्री गीताबाई जाति मेघवाल नि. सनोरिया तहसील सुनेल

6– कालूलाल पि. रामा जाति मेघवाल नि. सनोरिया तहसील सुनेल

7– सालगराम पि. रामा जाति मेघवाल नि. सनोरिया तहसील सुनेल

8– नरसिंह पि. दोला जाति मेघवाल नि. सनोरिया तहसील सुनेल

9– रतनीबाई पत्नी रामलाल जाति मेघवाल नि. सनोरिया तहसील सुनेल

10– नवलबाई पली पूरीलाल जाति मेघवाल नि. कोटडी तहसील पिडावा

11– सरकार जयें तहसीलदार, पिडावा तहसील पिडावा

– प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:01:45 IST
Reason: SelfAttested

दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 2[illegible]

उपस्थिति अभिभाषक –

अभिभाषक वादीगण – श्री मसूद अहमद खान

प्रतिवादी सं. 1 से 10 – एकतरफा

प्रतिवादी सं. 11 – पेरोकार सरकार

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

(16)

निर्णय दिनांक : 23 .04.2026

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आराजियात ख.नं. 151 रकबा 1–05 बीघा, ख.नं. 152 रकबा 0–17 बीघा, ख.नं. 153 रकबा 0–19 बीघा, ख.नं. 154 रकबा 1–06 बीघा, ख.नं. 156 रकबा 1–04 बीघा, ख.नं. 157 रकबा 1–03 बीघा, ख.नं. 158 रकबा 1–06 बीघा, ख.नं. 159 रकबा 3–12 बीघा किता 8 रकबा 11–13 बीघा ग्राम सनोरिया तहसील पिड़ावा में स्थित है। नकल जमाबंदी सं. 2031–34 संलग्न है। उपरोक्त पेरा न० 1 में वर्णित आराजीयात है नया खसरा नम्बर 151, 152, 642/152, 153, 154, 643/154, 644/154, 156, 157, 158, 618/158, 159, 640/159, 647/159 वाके ग्राम सनोरिया तहसील पिडावा बनाये गये है। उपरोक्त पेश नं 1 व 2 में वर्णित आराजीयात को दावे में आगे विवादग्रस्त के नाम से सम्बोधित किया गया है और इन्ही आराजीयात के संबंध में यह दावा पेश किया है। उपरोक्त विवादग्रस्ता भूमि वादीगण 1 लगायत 5 के दादा यानि ग्रांड फादर व वादीयानं 6 के ससुर एवं प्रतिवादी नं० 1 के ग्राण्ड फादर देवाजी पुत्र घांसीजी जाति चमार मेघवाल निवाती सनोरिया स्व तहसील सुनेल के तन्हा खाते, कब्जे व काश्त की स्वयं की अर्जित भूमि है उपरोक्त वर्णित विवादग्रस्त आराजीयात के खातेदार देवा पुत्र घांसीजी की मृत्यु हो चुकी है–उनकी मृत्यु के बाद विवादग्रस्त भूमि देवाजी के दोनो शंकरलाल, धन्नालाल नाबालिग सरपरस्त माता धापूबाई बेवा देवाजी के खाते कब्जे व काश्त में आई तथा यह दोनो देवाजी के बाद विवादग्रस्त भूमि उनके जायज वारिस–उतराधिकारी होने के कारण विवादग्रस्त भूमि पर बतौर खातेदार टेनेन्ट काबिज होकर काश्त करते रहे है। नकल जमाबंदी सम्वत 2031–34 संलग्न है। विवादग्रस्त भूमि है खातेदार वादीगण 1 लगायत 5 के पिता तथा वादीगण 6 के पति धन्नालाल और प्रतिवादी 1 के पिता शंकरलालजी की मृत्यु हो चुकी है। इन दोनो खातेदारान या शंकरलाल, धन्नालाल की माता श्रीमति धापूबाई की भी मृत्यु हो चुकी है। इन दोनो धन्नालाल, शंकरलाल मैघवाल की मृत्यु के बाद विवादग्रस्त आराजीयात वादीगण प्रतिवादीगणं के खाते कब्जे काश्त में आई। वादीगण व प्रतिवादी न 1 विवादग्रस्त आराजीयात के

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner
Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:01:45 IST
Reason: SelfAttested

खतेदार टीनेन्ट है जिसमें वादीगण का हिस्सा 1/2 का है। इसी प्रकार प्रतिवादी 1 का हिस्सा 1/2 का है। नकल जमाबंदी सं. 2035–36 संलग्न है। विवादग्रस्त आराजीयात के 1/2 भाग पर वादीगण का कब्जा व काश्त बतौर खातेदार टीनेन्ट उनके पिता के समय से आज दिनांक तक चला जा रहा है। वादीगण विवादग्रस्त आराजीयात के अपने 1/2 हिस्से को अलग कराने और अपने हिस्से के स्वत्व घोषणा न्यायालय से कराने के हकदार है। विवादग्रस्त भूमि मृतक खातेदार देवाजी की तन्हा–खातेदारी की स्वयं अर्जित भूमि होने के कारण विवादग्रस्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी नं 1 के अतिरिक्त प्रतिवादीगण 2 लगायत 10 का या अन्य किसी का कोई अधिकार, हिस्सा, कब्जा व संबंध नहीं है। प्रतिवादीगण 2 लगायत 10 का विवादग्रस्त भूमि पर या इसके किसी भाग पर कोई का हिस्सा अधिकार व संबंध नहीं होने के कारण इन प्रतिवादीगण को इस भूमि पर किसी प्रकार का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। वादीगण 1 लगायत 5 के पिता व वादीया 6 के पति धन्नालालजी की लगभग 22 वर्ष पहले वादीगण 1 लगायत 5 की नाबालिग अवस्था में हो चुकी है। उस समय वादीगण 1 से 5 नाबालिग थे और बहुत छोटी उम्र के थे तथा वादीया नं. 6 भी नाबालिग व अशिक्षा महिला है जिसे किसी प्रकार की कोई कानूनी सामाजिक जानकारी नहीं है। वादीगण 1 लगायत 5 की नाबालिग अवस्था व वादीया नं. 6 की अज्ञानता उनसे सीधेपन का लाभ उठाकर साजिश के तहत वादीगण को विवादग्रस्त आराजीयात में उनके 1/2 हिस्से से महरूम करने की नियत से प्रतिवादीगण नं 2 लगायत 10 व उनके परिवारजनों द्वारा साजिश के तहत वादीगण को पक्षकार बनाये बगैर और उनको बगैर किती सुनवाई के विवादग्रस्त आराजीयात में से अधिकांश भूमि प्रतिवादीगण 2 लगायत 10 के व उनके माता–पिता के नाम नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश सब तहसील सुनेल द्वारा दिया गया और इसके आधार पर विवादग्रस्त भूमि के खाते अलग–अलग कर दिये गये जो गैरकानूनी है तथा नामान्तरकरण तस्दीक करने व खाते अलग अलग करने की सम्पूर्ण कार्यवाही अवेद्य व शून्य है तथा निरस्तनीय है। प्रतिवादीगण न० 2 लगायत 10 तथा इनके माता–पिता के नाम जो नामान्तरकरण सब तहसील सुनेल द्वारा तस्दीक किया गया और विवादग्रस्त

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:01:45 IST
Reason: SelfAttested
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

भूमि की अधिकांश भूमि इनके व इनके माता–पिता के नाम अलग अलग खाते में दर्ज की गई और विवादग्रस्त आराजीयात के नये खसरा नम्बरान बनाये गये इन तमाम कार्यवाही के पहले भी किसी न्यायालय में कोई वाद प्रतिवादीगण नं 2 लगायत 10 या इनके माता–परिजनों पिता अथवा उनके परिजनो के द्वारा दावा पेश कर फेसला अपने पक्ष मे लिया हो तो ऐसे वाद में व अन्य कानूनी कार्यवाही में वादीगण को पक्षकार नहीं बनाया गया है और न्यायालय में फैसला करवाने से पहले भी वादीगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया तथा वादीगण की नाबिलिग अवस्था होने के कारण वादीया न. 6 उनकी माता व सरपरस्त होने के कारण संरक्षक की हैसियत से वादीया नं. 6 को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है। इस कारण विवादित भूमि के संबंध में पस्तुत किसी वाद में यदि कोई फैसला विवादग्रस्त भूमि या उनके किसी भाग या उप–भाग के संबंध में प्रतिवादीगण 2 लगायत 10 के पक्ष में या उनके माता–पिता या परिवारजनों के पक्ष में किया गया हो तो ऐसे फेसले व डिक्री वादीगण की नाबालिग अवस्था में होने और फैसले माईनर यानि अवयस्क के विरूद्ध होने के कारण अवेद्य व शुन्य है तथा वादीगण पर निष्प्रभावी है। वादीगण की माईनर अवस्था यानि नाबालिग अवस्था में विवादग्रस्त भूमि में से जो भी प्रतिवादीगण न 2 लगायत 10 के नाम अलग अलग खातों में दर्ज कर दी नवीन खसरा नंबरान बना दिये गये तथा राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादीगण न लगायत 10 के पक्ष में इन्द्राजात कर दिये गये है जो राजस्व रेकार्ड व इन्द्राजात व प्रतिवादीगण नं 2 लगायत 10 व उनके माता–पिता के नाम दर्ज करने की समस्त कार्यवाही राजस्व रेकार्ड से इन्द्राजात अवेध व शुन्य है एव निरस्तनीय है। तथा वादीगण पर निष्प्रभावी है। प्रतिवादीगण 2 लगायत 10 व उनके माता–पिता के नाम जो गैर कानूनी तरीके ते गलत इन्द्राजात दर्ज किये गये उससे उन प्रतिवादीगण को विवादग्रस्त भूमि पर या उसके किसी खसरा नम्बर पर कोई अधिकार प्राप्त नही होते है तथा ऐसे अवेद्य व शून्य रेकार्ड से वादीगण के अधिकारों पर किसी प्रकार की कमी नहीं आई है। उपरोक्त अवैद्य व शुन्य रेकार्ड के आधार पर प्रतिवादी 8 ने बिना बदल के आराजी ख.नं. 646/159 रकबा 1–13 बीघा वाके ग्राम सनोरिया तहसील पिडावा का बेचान

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:01:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

19

पत्र दि. 13.08.2008 को सब रजिस्ट्रार सुनेल के कार्यालय में प्रतिवादीयानं के पक्ष में वादीगण की सहमति व अनुमति बगैर गोपनीय तरीके से अवेद्य रूप से तस्दीक करवाया जिसका कब्जा भी प्रतिवादीया 9 को नहीं दिया गया इस कारण बेचानपत्र अवेध व शून्य है और वादीगण पर निष्प्रभावी है। इत अवेद्य व शून्य बेचानपत्र से प्रतिवादीया न० 9 को विक्रयशुद्धा भूमि पर किसी प्रकार के कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है और इस भूमि पर वादीगण को प्राप्त अधिकारों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है तथा प्रतिवादीया नं 9 की स्थिति इस भूमि पर आउट–साईडर व स्ट्रेन्जर की है। उपरोक्त अवेध व शुन्य बेचान के आधार पर यदि ख.न. 646/159 वाके ग्राम संनोरिया तहसील पिडावा के संबंध में यदि प्रतिवादीया न० 9 के नाम कोई नामान्तरकरण तस्दीक किया गया हो तो ऐसा नामान्तरकरण अवेद्य व शुन्य होने से निरस्तनीय है। वादीगण को प्रतिवादीगण न० 2 लगायत 10 के नाम उनके अलग अलग खातों में विवादग्रस्त भूमि दर्ज होने की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 25.08.2008 को उस समय हुई जब इन प्रतिवादीगण ने वादीगण को विवादग्रस्त भूमि से बेदखल करने की धमकी दी और भूमि को खुर्द–कुर्द करने की भी कोशिश की। इस पर वादीगण ने नकले प्राप्त की जिससे वादीगण को जानकारी मिली तो वादीगण ने प्रतिवादीगण नं 2 लगायत 10 से यह भूमि उन्हे उनके खाते दर्ज करने की माँग की तो प्रतिवादीगण ने दिनांक 30.09.2008 को अन्तिम रूप से यह भूमि वादीगण के पुनः खातेदारी में दर्ज कराने से इन्कार कर दिया तथा रेकार्ड की दुरुस्ती से भी इन्कार कर दिया जिसकी वजह से वादीगण के लिए यह वाद लाना आवश्यक हो गया है। वादीगण विवादग्रस्त भूमि के रिकार्ड में दुरूस्ती कराने विवादग्रस्त भूमि का 1/2 भाग अपने खाते अलग से दर्ज कराने व प्रतिवादीगण न० 2 लगायत 10 का नाम खाते से अलग करवाने व उसकी न्यायालय से स्वत्त्व धोषणा कराने के अधिकारी है। वाद कारण दिनांक 25.08.2000 को प्रतिवादीगण 2 लगायत 10 द्वारा विवादग्रस्त भूमि से वादीगण को बेदखल करने और भूमि को खुर्द–बुर्द करने की धमकी देने तथा 30.09.2008 को अन्तिम बार प्रतिवादीगण नं० 2 लगायत 10 द्वारा विवादग्रस्त भुमि वादीगण के पुनः खातेदारी में दर्ज कराने, रेकार्ड में दुरुस्ती करने ओर खाते से

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:01:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादीगण न 2 लगायत 10 का नाम कम करने से इन्कार होने के कारण उत्पन्न हुआ। सरकार को लेण्ड होल्डर की हेसियत से पार्टी बनाया गया है, किन्तु उनके खिलाफ कोई रिलीफ नहीं चाहा गया है। दावा उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद पेश है और माननीय न्यायालय के सुनवाई योग्य है। अतः वादीगण का वाद मय खर्चा स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की डिक्री पास्ति की जावे कि–

(अ) विवादग्रस्त भूमि दावे के पेरा न 1 व 2 में वर्णित कुल रकबा 11–13 बीघा ग्राम सनोरिया तहसील सुनेल के 1/2 भाग यानि 5–10 बीघा भूमि का वादीगण को खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जावे और यह भूमि वादीगण के तन्हा खाते में दर्ज की जावे।

(ब) इसी प्रकार विवादग्रस्त भूमि के 1/2 भाग का प्रतिवादी नं० 1 को खातेदार घोषित किया जाये।

(स) प्रतिवादीगण 2 लगायत 10 के नाम जो अवैध व शुन्य नामान्तराण तस्दीक किये गये निरस्त फरमाये जायें।

(द) राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादीगण 2 से 10 के नाम दर्ज की गई समस्त अवैध व शुन्य प्रविष्टियों निरस्त की जाये और इन प्रतिवादीगण का नाम खाते से किया जाये, रेकार्ड में दुरुस्ती की जावे।

(य) प्रतिवादीगण 2 लगायत 10 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये कि विवादग्रस्त भूमि या उसके किसी भाग को खुर्द बुर्द नहीं करे।

(र) अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण के पक्ष में प्रदान कराई जाये।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी सं. 1 से 10 के बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से मुताबिक आदेशिका दिनांक 22.01.2009, दिनांक 16.01.2025, दिनांक 06.03.2025, दिनांक 12.01.2026 से प्रतिवादी सं. 1 से 10 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:01:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

(21)

3. प्रतिवादी सं. 11 पेराकार सरकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 के मुताबिक खातेदारान के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसकी नकल जमाबंदी संलग्न है। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 के मुताबिक खातेदारान के नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है जिसकी नकल संलग्न है। बिन्दु माननीय न्यायालय से संबंधित है। गत वर्ष का राजस्व रिकॉर्ड माननीय न्यायालय में सत्यापित वादी पक्ष द्वारा किया जावेगा। बादी माननीय न्यायालय में साक्ष्य एवं रिकॉर्ड पेश कर सत्यापित करेंगे। वादी माननीय न्यायालय में साक्ष्य एवं गत वर्षों का रिकॉर्ड पेश कर सत्यापित करे। खाता विभाजन माननीय न्यायालय से संबंधित है। वादी माननीय न्यायालय में रिकॉर्ड पेश कर सत्यापित कर। बिन्दु माननीय न्यायालय से संबंधित है। वादी माननीय न्यायालय में रिकॉर्ड पेश कर सत्यापित कर। बिन्दु नाननीय न्यायालय से सबधित है। बिन्दु माननीय न्यायालय से सबधित है। बिन्दु माननीय न्यायालय से संबंधित है। विन्दु माननीय न्यायालय से संबंधित है। वादी माननीय न्यायालय में गत रिकॉर्ड पेश कर सत्यापित करे। बिन्दु माननीय न्यायालय से संबंधित है वादी माननीय न्यायालय में गत रिकॉर्ड पेश कर सत्यापित करे। बिन्दु माननीय न्यायालय से संबंधित है। वादी माननीय न्यायालय में साक्ष्य पेश कर सत्यापित करें। बिन्दु माननीय न्यायालय से सबंधित है। बिन्दु माननीय न्यायालय से संबंधित है। बिन्दु सं. 22 के समस्त बिन्दु माननीय न्यायालय से संबंधित है अत चाहा गया जबाव श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

4. वादीगण द्वारा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम सनौरिया तहसील सुनेल के खाता सं. 74 की जमाबंदी सं. 2027–30 प्रदर्श 1, खाता सं. 66 की जमाबंदी सं. 2035–38 प्रदर्श 2, खाता सं. 18 की जमाबंदी सं. 2022–41 प्रदर्श 3 व 4, नामा.सं. 1 दिनांक 31.03.1969 प्रदर्श 5, खाता सं. 74 की जमाबंदी सं. 2027–30 प्रदर्श 6, खाता सं. 18 की जमाबंदी सं. 2031–34 प्रदर्श 7, नामा.सं. 69 दिनांक 04.12.1978 प्रदर्श 8, खाता सं. 64 की जमाबंदी सं. 2035–38 प्रदर्श 9 पेश किया एवं मौखिक साक्ष्य में मुकेश पि. धन्ना, प्रभूलाल पि. धन्ना, भेरूलाल पि. रामलाल, दयाराम पि. कन्हैयालाल, सरतानबाई

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner
Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:01:45 IST
Reason: SelfAttested

पत्नि कालूलाल, बाबूलाल पि. नारायणलाल, बद्रीलाल पि. धन्ना PW 1 To PW 7 के शपथपत्र/बयान कराये। प्रतिवादी सं. 11 सरकार की ओर से खाता सं. 91, 161, 169, 192, 230, 153, 193, 154, 102 जमाबंदी सं. 2072–75, जमाबंदी सं. 2039–42, सं. 2044–47, सहायक कलक्टर झालावाड की पालना में दर्ज बंटवारा नामा.सं. 119 सन 1984 व रिपोर्ट पटवारी पेश की।

5. अभिभाषक वादीगण की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादीगण ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण की ओर से दिनांक 16.10.2008 के उक्त उनवान का एक वाद माननीय न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम सनोरिया तहसील पिड़ावा जिला झालावाड़ में जमाबन्दी सम्वत 2031 से 2034 में आराजियात खसरा नं. 151 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नं. 152 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नं. 153 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नं. 154 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नं. 156 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नं. 157 रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नं. 158 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नं. 159 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, कुल किता 8 रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा स्थित है जिसके मौजूदा नये खसरा नम्बरान, 151, 152, 642/152, 153, 154, 643/154, 644/154, 156, 157, 158, 618/158, 159, 646/159, 647/159 ग्राम सनोरिया तह० पिड़ावा वर्तमान तह० सुनेल बनाये गये है। ग्राम सनोरिया तह० पिड़ावा वर्तमान तह० सुनेल की उक्त वर्णित आराजियात रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा वादीगण नं. 1 लगायत 5 के दादा यानी ग्रान्ड फादर व वादिया नं. 6 के सुसर तथा प्रतिवादी नं. 1 के दादा यानी ग्रान्ड फादर देवा पुत्र घासी जाति चमार निवासी सनोरिया तहसील पिड़ावा वर्तमान तह० सुनेल जिला झालावाड़ के तन्हा खाते कब्जे व काश्त की ऐलाटैशुदा आराजियात है। नकल जमाबन्दी सेटलमेंन्ट सम्वत 2022 से 2041 पेश की है जो प्रदर्श–3 है। वादीगण नं. 1 लगायत 5 के दादा यानी ग्रान्ड फादर व वादिया नं. 6. के सुसर तथा प्रतिवादी नं. 1 के दादा यानी ग्रान्ड फादर देवा पुत्र घासी की मृत्यु के बाद ग्राम सनोरिया की वादग्रस्त आराणियात रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा में फौती नामान्तकरण संख्या–1– ग्राम पंचायत डाबलीखिंची द्वारा दिनांक 31.03.1968 को

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner
Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:01:45 IST
Reason: SelfAttested

खौला गया जिसमें उनकी तीनों पुत्रियों ने अपने हिस्सा लेने व नाम दर्ज करवाने से मना कर दिया इसलिए नामान्तकरण देवा जी के दोनो पुत्रों शंकरलाल व धन्नालाल के नाम खोला गया है। नकल नामान्तकरण पेश की है जो प्रदर्श–5 है। ग्राम सनोरिया तहसील पिड़ावा वर्तमान तह० सुनेल की वादग्रस्त आराजियात देवा जी के दोनो पुत्रों शंकरलाल व धन्नालाल नाबालिग सरपरस्त माता धायुबाई के शामलाती कब्जे काश्त की आराजियात है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2027 से 2030 व सम्वत 2031 से 2034 पेश की है जो प्रदर्श–6 व 7 है। वादग्रस्त आराजियात में शंकरलाल की मृत्यु के बाद फौती नामान्तकरण उसके पुत्रों प्रतिवादी नं. 1 रामलाल व बैवा जानीबाई के नाम नामान्तकरण संख्या 69 दिनांक 04.12.1978 ग्राम पंचायत बढाबलाखिंची द्वारा खोला गया नकल नामान्तकरण पेश है जो प्रदर्श–8 है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2035 से 2038 पेश किये है जो प्रदर्श–9 है जिसमें खातेदार रामलाल पुत्र शंकरलाल, जानीबाई वैवा शंकरलाल हिस्सा 1/2 धन्नालाल माता धापुबाई हिस्सा 1/2 दर्ज है। वादग्रस्त आराजियात जमाबन्दी सम्वत 2035 से 2038 तक वादीगण नं. 1 लगायत 5 के पिता व वादिया नं. 6 के पति धन्नालाल एवं प्रतिवादी नं. 1 रामलाल के शामलाती खातेदारी में हिस्सा बराबर 1/2 1/2 दर्ज रही है। वादग्रस्त आराजियात के वादीगण एवं प्रतिवादी नं. 1 [illegible] टीनेन्ट है तथा यह आराजियात देवा जी के बाद वादीगण के पिता [illegible] धन्नालाल की मृत्यु के बाद 1/2 हिस्सा आराजी वादीगण के कब्जे काश्त में यानी 45–50 सालो से चली आ रही है। वादग्रस्त आराजियात से प्रतिवादीगण नं. 2 लगायत 8 जो देवा जी के भाई–बहनों के वारिसान है जिनका वादग्रस्त आराजियात से कोई संबंध व सरोकार नहीं रहा है। वादग्रस्त आराजियात देवा पुत्र घासी की ऐलार्टशुदा तन्हा खातेदार व कब्जे–काश्त की आराजी है जो ऐलार्टमेन्ट के बाद से ही देवा जी व उनको दोनो पुत्रों शंकरलाल व धन्नालाल के कब्जे काश्त व खातेदारी में चली आ रही है। शंकरलाल व धन्नालाल की मृत्यु के बाद वादीगण की नाबालिग अवस्था में व वादिया नं. 6 की अज्ञानता व उसके सीधेपन व अनपढ़ होने का लाभ उठाकर एक सोची–समझी साजिश के तहत व जालसाझी पूर्वक वादीगण व उनकी माता को वादग्रस्त आराजी से

उपखण्ड अधिकारी।
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:01:45 IST
Reason: SelfAttested

(24)

उनके 1/2 हिस्से से महरुम करने की नियत से प्रतिवादीगण नं. 2 लगायत 8 व उनके परिजनों द्वारा साजिश के तहत वादीगण को व उनकी माता को कोई सूचना दिये बगैर उनकी नाबालिग अवस्था में तथा उन्हें पक्षकार बनाये बिना और उनके बगैर किसी सुनवाई के वादग्रस्त आराजी में से अधिकांश भूमि प्रतिवादीगण नं. 2 लगायत 8 व उनके परिजनों के नाम नामान्तकरण दर्ज करने का आदेश तहसील सुनेल द्वारा दिया गया तथा वादग्रस्त आराजियात में से अधिकांश भूमि उनकी अलग खाते में दर्ज कर दी गई जो कानून सम्मत नहीं है तथा गैर कानूनी है। वादीगण नं. 1 लगायत 5 की नाबालिग अवस्था में उनकों व उनकी माता वादिया नं. 6 मोहनबाई को बिना किसी सूचना के नामान्तकरण तस्दीक करने व उसके आधार पर खाते अलग-अलग करने की सम्पूर्ण कार्यवाही अवैध है तथा शुन्य है जिससे वादीगण के हित प्रभावित नहीं होते है। वादीगण नं. 1 लगायत 5 के पिता व वादिया नं. 6 के पति धन्नालाल की मृत्यु के बाद वादीगण की नाबालिग अवस्था में उनको उनकी माता संरक्षण मोहनबाई को बिना सूचित किये व बिना सुनवाई के प्रतिवादीगण नं. 2 लगायत 8 व उनके माता-पिता द्वारा कोई निर्णय अपने पक्ष में करवाया हो तो वादीगण की नाबालिग अवस्था होने और फैसले माईनर के खिलाफ होने यानी अवयस्क के विरुद्ध होने से अवैध व शुन्य होकर निरस्तनीय है। समस्त कार्यवाही व राजस्व रेकार्ड में किये गये इन्द्राजात अवैध व शुन्य है तथा निरस्तनीय है। प्रतिवादी नं. 8 ने अवैध व शुन्य रेकार्ड के आधार पर मिला-बदल के आराजी खसरा नं. 646/159 रकबा 1 बीघा 13 का बैचान-पत्र दिनांक 13.08.20[illegible] को सब-रजिस्टार सुनेल से प्रतिवादी नं. 9 के पक्ष में वादीगण की सहमती व अनुमति के गोपनीय तरीके से तस्दीक करवाया गया है जिसका कब्जा भी प्रतिवादी नं. 9 को नहीं दिया गया है आराजी खसरा नं. 646/159 वादीगण के कब्जे-काश्त में है जिसमें उनके रिहाईशी मकान बने हुए है। प्रतिवादी नं. 9 की स्थिति इस भूमि में आउट-साईडर व स्ट्रेंजर की है। जो नामान्तकरण खोला गया है वो भी अवैध व शुन्य है तथा निरस्तनीय है एवं वादीगण के हितो पर निष्प्रभावी है। वादीगण ने प्रतिवादी नं. 9 के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र धारा 212 राज०टी०एक्ट का पेश किया जिसमें दिनांक 02.02.2012 को

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:01:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

(25)

प्रतिवादी नं. 1 को मुल वाद के निस्तारण होने तक मौके व रेकार्ड की यथास्थिति हेतु पाबंद किया गया है। वादीगण को प्रतिवादीगण नं. 2 लगायत 8 के नाम उनके अलग–अलग खातों में विवादग्रस्त भूमि दर्ज होने की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक–25.08.2008 को होने व प्रतिवादीगण द्वारा विवादग्रस्त आराजी को खुर्द–बुर्द करने की धमकी देने व प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी को पुनः वादीगण की खातेदारी में दर्ज करवाने से इन्कार करने पर वादीगण ने माननीय न्यायालय में दावा पेश किया है। प्रतिवादीगण के बावजूद सूबना के उपस्थित नहीं होने पर माननीय न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। वादीगण ने अपने दावे के समर्थन में नकल जमाबन्दी सम्वत 2031 से 2034 प्रदर्श–1 नकल जमाबन्दी 2036 से 2039 प्रदर्श– 2 नकल जमाबन्दी सेटलमेंट 2042 से 204: प्रदर्श–3 नकल जमाबन्दी प्रदर्श 4. नकल फोती नामान्तकरण संख्या 1 दिनांकरू– 3160361969 ग्राम पंचायत ढाबलाखिची प्रदर्श 5, नकल जमाबन्दी 2028 से 2030 प्रदर्श– 6, नकल जमाबन्दी 2031 से 2034 प्रदर्श– 7. नकल फोती नामान्तकरण संख्या 69 दिनांक 04.12.1978 ग्राम पंचायत ढाबलाखिंची प्रदर्श– 8. नकल जमाबन्दी 2035 से 2038 प्रदर्श 9, ग्राम सनोरिया तहसील पिड़ावा वर्तमान तहसील सुनेल पेश की है तथा अपने दावे के समर्थन में पीडब्ल्यू 1 मुकेश, पीडब्ल्यू –2 प्रेमलाल, पीडब्ल्यू–3 भैरुलाल, पीडब्ल्यू –4 दयाराम, पीडब्ल्यू –5 सरतानबाई, पीडब्ल्यू –6 बाबुलाल, पीडब्ल्यू –7 बद्रीलाल के बयान कराये है तथा पेश किये गये दस्तावेजात को पदर्शित करवाया गया है। वादीगण द्वारा समस्त शहादतों व पेश किये गये दस्तावेजात से वादीगण ने अपना वाद साबित कर दिया है कि वादग्रस्त आराजी का 1/2 हिस्सा वादीगण के कब्जे काश्त में वादीगण के पिता (ग्रान्ड फादर) देवा जी से ही चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी देवा पुत्र धासी की एलार्टशुदा आराजियात है जिससे प्रतिवादीगण नं. 2 लगायत 8 का कोई संबंधव सरोकार नहीं है। इन सभी तथ्यों व शहादतो से तथा पेश किये गये दस्तावेज से वादीगण ने अपने द्वारा पेश किये गये वाद को पूरी तरह से साबित कर दिया है। वाद वादीगण डिक्री फरमाया जाकर ग्राम सनोरिया तह० पिड़ावा वर्तमान तह० सुनेल में स्थित दावे के पैरा नं. 1 व 2 में वर्णित

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:01:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

वादग्रस्त आराजियात रकबा 11 बीघा 13 दिवा के 1/2 हिस्से यानी 5 बीघा 16 बिस्वा का वादीगण को खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाये। यह भूमि वादीगण के तन्हा खातेदार में दर्ज की जाये। इसी प्रकार विवादग्रस्त भूमि के 1/2 भाग का प्रतिवादी नं. 1 को खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाये। प्रतिवादीगण नं. 2 लगायत 10 के नाम जो अवैध व शुन्य नामान्तकरण तस्दीक किया गया है उन्हें निरस्त फरमाया जाये प्रतिवादीगण नं. 2 लगायत 10 के नाम की समस्त अवैध व शुन्य प्रविष्टिया निरस्त की जाये। इन सभी प्रतिवादीगण के नाम खाते से कम किया जाकर रेकार्ड में दुरुस्ती की जाये तथा प्रतिवादीगण नं. 2 लगायत 10 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाये कि वो वादग्रस्त आराजी या उसके किसी भी भाग को खुर्द–बुर्द या मुन्नतकिल आदि नहीं करे। अतः वादीगण की ओर लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि वादीगण द्वारा पेश किया गया वाद स्वीकार एवं डिक्री फरमाये जाने की कृपा की जाये।

6. अभिभाषक वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 11 सरकार की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण की ओर से प्रस्तुत सेटलमेंट विभाग की जमाबंदी सं. 2022–41 प्रदर्श 3 व 4 के अनुसार ग्राम सनोरिया [illegible] तहसील सुनेल की आराजी ख.नं. 151 रकबा 1–06 बीघा, 152 रकबा [illegible] बीघा, 152 रकबा 0–17 बीघा, 153 रकबा 0–19 बीघा, 154 रकबा 1–0[illegible] [illegible] 156 रकबा 1–04 बीघा, 157 रकबा 1–03 बीघा, 158 रकबा 1–06 बीघा, 159 रकबा 3–12 बीघा कुल किता 8 रकबा 11–13 बीघा देवा वल्द घासी चमार की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड थी। वादीगण का कथन है कि वादग्रस्त आराजी खातेदार देवा वल्द घासी चमार को आवंटन हुई थी और इसलिए उनकी स्वअर्जित सम्पत्ति थी। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा ना तो भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र की प्रति पेश की है और ना ही कोई अन्य ऐसा दस्तावेज पेश किया है जिससे भूमि देवा पि. घीसा को आवंटित होना साबित होती हो। अतः साक्ष्य के अभाव में यह साबित नहीं है कि भूमि देवा को आवंटन हुई थी। वादी द्वारा पेश फोती नामा.सं. 1 दिनांक 31.03.1968 प्रदर्श 5के अनुसार खातेदार देवा पि. घासी

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:01:45 IST
Reason: SelfAttested

के फोत होने से उनके दोनो पुत्रो शंकर व धन्ना के पक्ष में नामान्तरण निर्णित किया गया। देवा की तीनो पुत्रियो– गंगाबाई, पन्नी व सरतानबाई के शादीशुदा होकर ससुराल में रहने और हकत्यागने का कथन करने का अंकन करते हुए नाम छोड दिये गये थे। वादीगण द्वारा पेश वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी सं. 2027–30 प्रदर्श 6 एवं सं. 2031–34 प्रदर्श 7 के अवलोकन से जाहिर है कि फोती नामा.सं. 1 के अमल दरामद होने के बाद वादग्रस्त आराजी शंकरलाल, धन्नालाल सरपरस्त माता धापू चमार हि. 1/2–1/2 के खातेदारी में दर्ज हुई। वादीगण द्वारा पेश नामा.सं. 69 दिनांक 04.12.1978 प्रदर्श 8 के अवलोकन से जाहिर है कि सहखातेदार शंकरलाल के फोत होने से विरासत में उनके पुत्र रामलाल व बेवा जानीबाई के नाम भूमि दर्ज हुई। **वादीगण द्वारा पेश जमाबंदी सं. 2035–38 प्रदर्श 9 एवं नामा.सं. 69 के संयुक्त अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी कुल किता 8 कुल रकबा 11–13 बीघा में रामलाल पि. शंकरलाल व जानीबाई बेवा शंकरलाल हि. 1/2 (बराबर) एवं धन्नालाल सरपरस्त माता धापूबाई हि. 1/2 दर्ज रिकार्ड थी।**

7. अभिभाषक वादीगण का कथन है कि वादग्रस्त आराजी पर पि. शंकरलाल व धन्नालाल दोनो भाईयों का हिस्सा 1/2–1/2 पर कब्जा काश्त था और उनकी मृत्यु के बाद उनके वारीसानो का वर्षो से हि. 1/2–1/2 कब्जा काश्त चला आ रहा है लेकिन देवा की मृत्यु के बाद शंकरलाल धन्नालाल की नाबालिग अवस्था एवं माता धापूबाई की अनपढता का अनुचित लाभ उठाकर एक सोची समझी व जालसाजी के तहत देवा वल्द घासी के भाई बहिनो– रामा, शिवलाल, डाली आदि ने अपना नाम दर्ज करा लिया जो प्रतिवादी सं. 2 से 8 के पूर्वज थे। आगे तर्क किया कि प्रतिवादी सं. 2 से 8 के पूर्वज/परिजनो ने तहसील सुनेल से वादीगण को कोई सूचना दिये बिना और सुने बिना गैर कानूनी रूप से नामान्तरण दर्ज करवा लिया था। वादीगण के पिता धन्ना के नाबालिग होने और दादी धापूबाई के अशिक्षित होने से उनके विरूद्ध दिया गया फैसला अवैध व शून्य होने से खारीज किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner
Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 11:01:45 IST
Reason: SelfAttested

(28)

प्रतिवादी सं. 11 द्वारा पेश नामा.सं. 119 सन 1984 के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय सहायक कलक्टर भवानीमण्डी की इजराय आदेश कमांक 1718/राज/84 दिनांक 15.10.1984 की पालना में तहसीलदार द्वारा नामान्तरण दर्ज किया गया था। *तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि आज दिनांक को इजराय सहायक जिलाधीश झालावाड से ग्राम सनोरिया प्राप्त हुई जिसके मुताबिक ग्राम सनोरिया के खाता सं. 66 की 11–03 बीघा भूमि को घासी चमार के वारीसान में निम्न प्रकार से अलग अलग बांट कर खाते दर्ज किया जाता है। मुताबिक कालम सं 11 व 12 की रिपोर्ट पटवारी व आईएलआर के, पक्षकारान को मौके पर कब्जा दिया जा चुका है। (1) धन्नालाल पि. देवा 1/2 व रामलाल पि. शंकर व जानीबाई बेवा शंकर को 1–13 बीघा (2) सीताराम व जगन्नाथ पि. हेमा व मेहताबबाई बेवा हेमा को रकबा 1–14 बीघा (3) शिवा पि. घासी को रकबा 1–14 बीघा (4) माना पि. घासी को 1–14 बीघा (5) रामा पि. घासी को रकबा 1–13 बीघा (6) डोली पि. घासी को रकबा 1–13 बीघा एवं (7) अमरी पि. घासी 1–12 बीघा अलग अलग खाते दर्ज करने की स्वीकृति दी जाती है।*

अतः स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी किता 8 रकबा 11–13 बीघा [illegible] के पिता घासी चमार के वारीसानो में न्यायालय सहायक कलक्टर के नि[illegible] व डिक्री की पालना में पेश इजराय दिनांक 15.10.1984 की पालना में तहसीलदार द्वारा नामा.सं. 117 दर्ज किया गया था। वादीगण द्वारा उक्त निर्णय व डिक्री की अपीलीय न्यायालय में कोई अपील पेश की हो, ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः वादीगण का यह कथन साबित नहीं होता है कि प्रतिवादी सं. 2 से 8 के पूर्वजो/परिजनो ने शंकरलाल व धन्नालाल की नाबालिग अवस्था एवं माता धापूबाई की अनपढता का अनुचित लाभ उठाकर एक सोची समझी व जालसाजी के तहत वादग्रस्त भूमि को अपने नाम दर्ज करा लिया था। यदि वादीगण न्यायालय सहायक कलक्टर के निर्णय से संतुष्ट नहीं थे या वादीगण के पिता धन्नालाल व दादी धापूबाई को बिना सुने एकपक्षीय निर्णय जारी किया था तो सक्षम अपीलीय न्यायालय में अपील दायर कर अनुतोष प्राप्त करना चाहिए था। जिस वादग्रस्त आराजी के संबंध में न्यायालय सहायक कलक्टर

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:01:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा निर्णय व डिक्री जारीकर दी गई हो तो ऐसे निर्णय को अवैध व प्रभावशून्य बताकर उसके विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष तथ्य छुपाकर पुनः समान कारण हेतुक के लिए वाद दायर नहीं किया जा सकता है, केवल अपील दायर की जा सकती है। सुविधा के लिए यहां धारा 223 आर.टीएक्ट के प्रावधानो का अवलोकन किया जाना आवश्यक है–

Sec 223. Appeals from original decrees— An appeal shall lie from an original decree (i) to the Collector if such decree is passed by a Tehsildar, and (ii) to the Revenue Appellate Authority if such decree is passed by an Assistant Collector, a Sub-Divisional Officer or a Collector.

8. वादीगण का कथन है कि सहायक कलक्टर के गलत आदेश से राजस्व रिकार्ड में गलत तरीके से दर्ज प्रतिवादी सं. 8 ने ख.नं. 646/159 रकबा 1–13 बीघा का बेचान दिनांक 13.08.2008 को उप पंजीयक सुनेल के कार्यालय से वादीगण की सहमति के बिना गोपनीय रूप से प्रतिवादी सं. 9 के पक्ष में कर दिया गया जिसका नामान्तरण भी प्रतिवादी सं. 9 के पक्ष में खेल दिया जबकि भूमि आज भी वादीगण के कब्जे में है। अतः उक्त अवैध व प्रभावशून्य राजस्व रिकार्ड के आधार पर खातेदार बने प्रतिवादी सं. 8 द्वारा किया गया रजिस्ट्रर्ड बेचान भी अवैध व प्रभावशून्य होने से खारीज योग्य है।

पेरा नं. 7 में किये गये विवेचन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि न्यायालय सहायक कलक्टर के निर्णय व डिक्री की पालना में प्रतिवादी सं. 8 व अन्य प्रतिवादीगण के खाते हुई थी और उक्त निर्णय व डिक्री को आज दिनांक तक सक्षम अपीलीय न्यायालय द्वारा खारीज किये जाने को कोई भी दस्तावेज वादीगण द्वारा पेश नहीं किया गया है। अतः रिकार्डेड खातेदार प्रतिवादी सं. 8 द्वारा प्रतिवादी सं. 9 के पक्ष में किया गया रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 13.08.2008 किसी भी विधि के विरूद्ध होना प्रतीत नहीं होने से प्रारम्भ से अवैध व शून्य घोषित नहीं किया जा सकता है और इसलिए राजस्व न्यायलय द्वारा खारीज भी

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner
Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:01:45 IST
Reason: SelfAttested

नहीं किया जा सकता है। वादीगण उक्त रजिस्टर्ड बेचान को सक्षम न्यायालय में चुनौती देने हेतु स्वतंत्र है।

9.. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम सनोरिया की वादग्रस्त आराजी मूल ख.नं. 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159 किता 8 रकबा 11–13 बीघा भूमि के संबंध में वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 आर.टी.एक्ट खारीज किये जाने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

10. परिणामस्वरूप ग्राम सनोरिया तहसील सुनेल की वादग्रस्त आराजी मूल ख.नं. 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159 किता 8 रकबा 11–13 बीघा भूमि के संबंध में वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 आर.टी.एक्ट खारीज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 23.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/4/26

(दिनेश कुमार मीणा,आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:01:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

(31)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 174 / 2008 दायर दिनांकः 17.10.2008

उनवान

1— प्रभुलाल पि. धन्ना जाति मेघवाल नि. सनोरिया तहसील सुनेल

2— लालचन्द पि. धन्ना जाति मेघवाल नि. सनोरिया तहसील सुनेल

3— मुकेश पि. धन्ना जाति मेघवाल नि. सनोरिया तहसील सुनेल

4— दिलीप पि. धन्ना जाति मेघवाल नि. सनोरिया तहसील सुनेल

5— बद्री पि. धन्ना जाति मेघवाल नि. सनोरिया तहसील सुनेल

6— मोहनबाई बेवा पि. धन्ना जाति मेघवाल नि. सनोरिया तहसील सुनेल

—वादीगण

बनाम

1— रामलाल पि. शंकरलाल जाति मेघवाल नि. सनोरिया तहसील सुनेल

2— सीताराम पि. अमरी जाति मेघवाल नि. सनोरिया तहसील सुनेल

3— शांतिबाई पुत्री गीताबाई जाति मेघवाल नि. सनोरिया तहसील सुनेल

4— लीलाबाई पुत्री गीताबाई जाति मेघवाल नि. सनोरिया तहसील सुनेल

5— सुगनीबाई पुत्री गीताबाई जाति मेघवाल नि. सनोरिया तहसील सुनेल

6— कालूलाल पि. रामा जाति मेघवाल नि. सनोरिया तहसील सुनेल

7— सालगराम पि. रामा जाति मेघवाल नि. सनोरिया तहसील सुनेल

8— नरसिंह पि. दोला जाति मेघवाल नि. सनोरिया तहसील सुनेल

9— रतनीबाई पत्नी रामलाल जाति मेघवाल नि. सनोरिया तहसील सुनेल

10— नवलबाई पली पूरीलाल जाति मेघवाल नि. कोटडी तहसील पिडावा

11— सरकार जयें तहसीलदार, पिडावा तहसील पिडावा

— प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 रा.टी.एक्ट

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally Signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:41:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

32

उपस्थिति अभिभाषक –

अभिभाषक वादीगण – श्री मसूद अहमद खान

प्रतिवादी सं. 1 से 10 – एकतरफा

प्रतिवादी सं. 11 – पेरोकार सरकार

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....X..... रूबरू.....X.....
मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

ग्राम सनोरिया तहसील सुनेल की वादग्रस्त आराजी मूल ख.नं. 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159 किता 8 रकबा 11–13 बीघा भूमि के संबंध में वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 आर.टी.एक्ट खारीज किया जाता है।

23/4/2026

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 23.04.2026 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:01:45 IST
Reason: SelfAttested